

राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर

अदालत

मुकाम

हजारी

बनाम

राजेन्द्र

किसम मुकदमा

223 आर.टी.एक्ट

नं.

71/2019

सन्

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

14.11.19

पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज पंजिका की जावे।

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के कोर्ट कैम्प के निर्णय दिनांक 14.07.2016 के विरुद्ध लोक अदालत में किये गये निर्णय के खिलाफ पेश की गई है।

अभि. अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नं. 4669 रकबा 0.01 है0, 4670 रकबा 1.81 है0, 4672 रकबा 0.90 है0, 4679 रकबा 1.24 है0 कुल कित्ता 4 रकबा 3.96 है0 ग्राम नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है।

रेस्पोंड राजेन्द्र प्रसाद द्वारा तहत अदालत में दायर वाद में कुरेजात रिपोर्ट जो गिरदावर नारायणपुर द्वारा तैयार की गई है, कुरेजात बनाने के लिये स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाना आज्ञापक है। तहसीलदार द्वारा कुरेजात तैयार करने संबंधी कोई नोटिस अपीलांट को नहीं दिया गया और न ही कोई सक्षम व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जबकि कुरेजात कायम करने से पूर्व सभी पक्षकारान को नोटिस देना कानूनन अनिवार्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के सर्वथा उल्लंघन में पारित किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(3) में यह प्रावधान है कि जो प्रकरण लोक अदालत के समक्ष लिया गया है, वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिये अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करायेगी या परिनिर्धारण करेगी। इस अधिनियम की धारा 21 व 22 में अत्यन्त प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है—

(1) लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, अधिनिर्णय यथा स्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जायेगा और ऐसे किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन उसका निर्णय किसी लोक अदालत द्वारा मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के उपबंधित रीति से लौटा दी जायेगी।

(2) लोक अदालत या स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर होगा तथा अधिनिर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि प्रथम तो उक्त अपील लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। दूसरा तहत अदालत द्वारा अपील में वर्णित सभी बिन्दुओं का अवलोकन नहीं किया जाकर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः लोक अदालत के बिन्दु पर हम उक्त अपील में यह आदेश देना उचित समझते हैं कि उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दिनांक 14.07.2016 को प्रचलन से रोका जाता है उक्त अपील को तहत अदालत में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

5